



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)

फोन 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 1595 / रेनुकूट / 15-28 दिनांक, रेनुकूट, 13-11-2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर, उ०प्र०।

विषय:

जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के०वी० विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टर आरक्षित वन भूमि को 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ:

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच० अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०४/६८/२०१९/एफ०सी०/२४४ दिनांक- 14.08.2019
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-२ का पत्र संख्या-भा०सी०-131/81-2-2019-145(233)/64 लखनऊ दिनांक- 27.09.2019
3. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-371/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ड्रान्स/18048/2018 लखनऊ दिनांक- 22.08.2019
4. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-605/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ड्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक- 23.09.2019
5. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-656/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ड्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक- 30.09.2019
6. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्र संख्या-752/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/ड्रान्स/18048/2016 लखनऊ दिनांक- 14.10.2019
7. आपका पत्र संख्या-सा० 1230/मी०क्ष०/33 दिनांक-12.09.2019

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक- 14.08.2019 द्वारा 6 (छ) बिन्दुओं से संबंधित सूचना/अभिलेखों की मांग की गयी थी। उक्त सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग के पत्र संख्या-1050/रेनुकूट/15-28 दिनांक- 26.09.2019, पत्र संख्या- 1231/रेनुकूट/15-28 दिनांक- 09.10.2019 तथा पत्र संख्या- 1287/रेनुकूट/15-28 दिनांक- 15.10.2019 द्वारा संस्थान से अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में श्री विवेक कुमार, हेड-लीगल, मे० हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि० रेनुकूट ने अपने पत्र दिनांक- 23.10.2019 द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों को सम्मिलित करते हुए प्रभाग की अनुपालन आख्या निम्नानुसार 4(चार) प्रतियों में संलग्न करते हुए संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्रम संख्या	उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच० अलीगंज लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०४/६८/२०१९/एफ०सी०/२४४ दिनांक- 14.08.2019 द्वारा मांगी गयी सूचना/अभिलेखों का विवरण	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	The proposal is not showing online on the Portal of Regional Office.	इस बिन्दु में उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण संस्थान के नई दिल्ली आफिस द्वारा करा दिया गया है। वर्तमान में प्रभाग के पोर्टल पर ऑन लाईन प्रदर्शित हो रहा है जिसमें अपेक्षित सूचना को

	ऑनलाईन अपलोड किया गया है ।	
2	The SOI toposheet of diverted land and CA land has not been submitted in standard scale 1:50,000. It is in merger format	इस बिन्दु के अनुपालन में हस्तान्तरित वन भूमि एवं उसके सापेक्ष क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित अवन्त वन भूमि से संबंधित 1:50,000 स्केल की टोपोगीट संलग्न है ।
3	The Geo-referenced maps of proposed CA land have not been submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित अवन्त वन भूमि से संबंधित जीओ-रेफरेंस मानचित्र पूर्व में प्रेषित किया गया है जिसकी प्रति पुनः संलग्न है ।
4	Shceme of raising Dwarf variety of plants under Transmission line is not submitted.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रकरण की मौके की जॉच क्षेत्रीय वन अधिकारी पिपरी एवं अनपरा तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी पिपरी से करायी गयी । जॉचोपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत ट्रान्समिशन लाईन के नीचे बौने प्रजाति के वृक्षारोपण करने हेतु कोई भी अवन्त वन भूमि उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्व से ही विभिन्न प्रजाति के प्राकृतिक वन वृक्ष मौजूद है । इस कारण बौने प्रजाति के वृक्षारोपण करने हेतु स्कीम उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता नहीं है । संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से प्राप्त प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है ।
5	Penal NPV along with the interest payable as per recent guidelines of the Ministry dated 29.10.2018 has not been proposed by the State Government	इस बिन्दु के अनुपालन में संस्थान द्वारा प्रस्तुत वचनबद्धता प्रमाण-पत्र सत्यापित करते हुए संलग्न है ।
6	The compliance of above mentioned shortcomings should be ensured/submitted by the State Government along with proper recommendation.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रकरण में उच्च स्तर से जो भी कमियाँ इंगित करते हुए वांछित सूचना/अभिलेखों की माँग की गयी थी उसे संस्थान एवं प्रभाग द्वारा स-समय उच्च स्तर पर प्रेषित की गयी है । पुनः संस्तुति सहित प्रेषित है ।

अतः विषयगत प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में ।

भवदीय,


(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/ सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : श्री विवेक कुमार, हेड-लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को उनके पत्र दिनांक- 23.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट